मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र

		7		<b>*</b> 1 11 1 1	• • • •	911 1 2 1 171
आवेदक का आधा	र नग	बर				
आवेदक / परिवार	के	मुखिया	का	जनआधार	कार्ड	
संख्या						

प्रार्थी का फोटो (पासपोर्ट साईज)

[	1.	प्रार्थी का नाम				र्विकिसी भी एक साक्ष्य पर सही का निशान ल उससे संबंधित दस्तावेज संलग्न करे :			
	2.	पिता / पति का नाम				क. सं.	साक्ष्य		साक्ष्य हेतु संलग्न दस्तावेज
	3.	वर्तमान स्थायी पता				1.	राजस्थान मे पैदा हुआ हो और उसके माता–पिता इस राज्य के मूल निवासी हो		माता/पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र/ पासपोर्ट/द्धाइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र या
	4.	पिता / पति का मूल स्थान							लगातार 10 वर्षो के बिजली / पानी / टेलीफोन के बिल(प्रत्येक वर्ष का एक-एक)
	5.	पिता / पति का व्यवसाय							व चुनाव पहचान पत्र /पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र या
	6.	पिता / पति के व्यवसाय का   पता							10 वर्षो के लगातार शिक्षण प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र /पासपोर्ट/द्धाइविंग
	7. 8.	जन्म स्थान जन्म दिनांक				-			लाइसेंस / अन्य फोटो पहचान पत्र
	9.	आपने किस कक्षा तक और क	हां तक शिक्ष	ा प्राप्त की :		2.	उसका या उसके		माता / पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान
		शि	का नाम	स्थान		माता—पिता का राजस्थान मे 10 वर्ष या		पत्र / पासपोर्ट / द्धाइविंग लाइसेंस / अन्य फोटो पहचान	
		कक्षा 1 से 9				अधिक वर्षों से मकान हो और यदि उनका मकान कही अन्यत्र हो			पत्र या लगातार 10 वर्षों के बिजली / पानी / टेलीफोन के बिल(प्रत्येक वर्ष का एक-एक)
		10 वीं							
		12 वीं					तो वे राजस्थान हो यह राज्य के रूप मे		व चुनाव पहचान पत्र /पासपोर्ट/ द्वाइविंग
		स्नातक					अंगीकृत करते हो,		लाइसेंस / अन्य फोटो पहचान पत्र या
		स्नातकोत्तर							10 वर्षो के लगातार शिक्षण प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान
		अन्य							पत्र /पासपोर्ट / द्वाइविंग लाइसेंस / अन्य फोटो पहचान पत्र
	10	स्वयं / पिता की अचल सम्पत्ति	का विवरण	मय स्थान		3.	यह या उसके माता–पिता 10 वर्षो या		माता / पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान
							अधिक से किराये के मकान में रह रहा		पत्र/ पासपोर्ट/ द्वाइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र
	11	क्या मतदाता सूची में स्वयं का / ि नाम है ?		हां / नहीं			हो / रहे हो और उसे सिद्ध करने हेतु किरायानामा प्रस्तुत किया जा सकेगा।		लगातार 10 वर्षे का किरायानामा व चुनाव पहचान पत्र /अन्य फोटो पहचान पत्र /पासपोर्ट/ झाइविंग लाइसेंस 10 वर्षे के लगातार शिक्षण प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र /पासपोर्ट/ झाइविंग लाइसेंस /अन्य फोटो पहचान पत्र
	12	आपका परिवार राजस्थान में कितन	ने वर्षों से रह			4.	उन महिलाओं की दशा में जो राजस्थान की		पति का मूल निवास प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र/
	13	रहा है ? मोबाईल नंबर					मूल निवासी नहीं है और ऐसे व्यक्ति से		पासपोर्ट / झाइविंग लाइसेंस / अन्य फोटो पहचान पत्र तथा
	10	(स्वंय का या अन्य का जिस पर प्र	ार्थी आवेदन				विवाह कर लेती है जो		विवाह प्रमाण पत्र
		से संबन्धित सूचना चाहता है)				राजस्थान का मूल निवासी है और जो			
I	महि	ला के लिए :-					अपने पति के साथ राजस्थान मे रहती है।		
	1.	क्या आप विवाहित हैं ?					सामान्यतया राजस्थान		
							का मूल निवासी मान ली जायेगी चाहे उसके		
							राजस्थान में अपने 10 वर्ष के निवासी की शर्त		
	-					_	पूरी न की हो।		पिता / पति के राजकीय
	2. 3.	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				5.			उपकम में 03 वर्ष पदस्थापित रहने का प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र/ पासपोर्ट/ ब्राइविंग लाइसेंस/ अन्य फोटो पहचान पत्र
		हैं ?							
	4.	आप अपने पति के साथ कब से एवं किस स्थान पर रह रही हैं ?					कार्यरत हो। (उक्त साक्ष्य अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र (TSP)के लिए लागु		

मैं तसदीक करता / करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है। (मुझे इस तथ्य की पूर्ण ज्ञान / जानकारी है कि शपथ—पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है।)

दिनांक :	
स्थान :	प्रार्थी के हस्ताक्षर

	उत्तरदायी व्यक्तियो द्वारा सत्यापन
में	निवासीनिवासी
राजकीय से	वापर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि
	या श्री/श्रीमतीपुत्र/पुत्री
	को भली भांति जानता हूँ यह वर्षो से उक्त निवास जिला
	राजस्थान में निवास कर रहा / रही है।
दिनांक	(हस्ताक्षर प्रथम उत्तरदायी व्यक्ति)
में	निवासीनिवासी
राजकीय से	वा पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि
ार्थी / प्रार्थी	या श्री / श्रीमतीपुत्र / पुत्री
नेवासी	वर्षे से उक्त निवास जिला वर्षे से उक्त निवास जिला
राजस्थान मे	ं निवास कर रहे / रही है।
दिनांक	(हस्ताक्षर प्रथम उत्तरदायी व्यक्ति)
3. 4.	के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है।) साक्ष्य के अनुसार जो साक्ष्य लागू हो उससे संबंधित दस्तावजे। उत्तरदायी व्यक्तिं (संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य, राजपत्रित अधिकारी, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी, महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम सदस्य, अराजपत्रित कर्मचारी, बीट प्रभारी (पुलिस) का प्रमाण पत्र जिस उसकी मोहर या राजकीय सेवा का पहचान पत्र।
	कार्यालय उपयोग के लिए
1. प्राध् 2. प्राध	वकर्त्ता की रिपोर्ट :- र्गि द्वारा भरा गया विवरण I (महिलाओं के लिए I & II) सही एवं पूर्ण है। हां / नहीं र्गि द्वारा प्रस्तुत संलग्नक पूर्ण एंव सही है। हां / नहीं र नहीं तो विशेष विवरण
 प्रस्त् होने	 नुत शपथ पत्र एवं दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी को मूल निवास दिया जाना उचित है/आवेदन पत्र अपूर्ण । के कारण खारिज किया जाता है।
आ <sup>रे</sup> 	भेदन पत्र पर आपत्तियां
मूल निवास	हस्ताक्षर लिपिक <b>जारी करने हेतु आदेश</b>
 1. प्रस	तुत शपथ–पत्र एवं दस्तावेजो के आधार पर मूल निवास जारी करने के आदेश दिये जाते हैं।
	वेदन पत्र हस्ताक्षर अपूर्ण होने के कारण / अन्य कारण
	खारिज किया जाता है।

हस्ताक्षर अधिकारी

(शपथ—पत्र मे असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है।)

	शपथ पत्र	
में,	<i>(बालिग होने की दशा में)</i> पुत्र / पुत्री श्रीर्	नेवासी
	राजस्थान का हूँ व सशपथ बयान करता	∕ करती हूँ कि :–
03. 04.	. यह है कि मैं का मूल निवासी हूँ। . यह है कि मैं वर्तमान में उक्त पते पर निवास कर रहा हूँ। . यह है कि मेरी समस्त शिक्षा की है। . यह है कि मैनें अभी अपना मूल निवास प्रमाण–पत्र भारत वर्ष के किसी भी स्थान से नहीं बनावाया है . यह है कि मैं यह सशपथ पत्र अपना मूल निवास प्रमाण–पत्र बनवाने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ।	<del>}</del>
दिनांक		हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता
मैं उपरो साक्षी है	सत्यापन ोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करता / करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य सत्य एवं सह ।	ही हैं ईश्वर मेरा
दिनांक		हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता
	् <u>शपथ पत्र</u>	
में	<i>(नाबालिग होने की दशा में)</i> पुत्र / पुत्री श्री र्रा	नेवासी
.,	राजस्थान का हूँ व सशपथ बयान करता	
1		7 47 ((1) & 147 .
2-	यह है कि मैं का मूल निवासी हूँ। यह है किमेरा / मेरी पुत्र / पुत्री है, जो नाबालिग है इस कारण से यह शप और से पेश कर रहा हूँ जिसकी आयु करीबनवर्ष है।	थ पत्र मे अपनी
	यह है कि मेरे उक्त पुत्र / पुत्री का जन्म में ही हुआ है।	
5-	यह है कि मेरा पुत्र / पुत्री की शिक्षा का अध्ययन भी कर रहा है। यह है कि मैनें उपरोक्त का मूल निवास प्रमाण—पत्र भारत वर्ष के किसी भी स्थान से नहीं बनावाया यह है कि मेरे को अपने पुत्र / पुत्री का मूल निवास प्रमाण—पत्र बनवाने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ।	है
दिनांक		हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता
में उपरो साक्षी है	सत्यापन ोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करता / करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य सत्य एवं सह ।	ड़ी हैं ईश्वर मेरा
दिनांक		हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता
	<b>शपथ पत्र</b> <i>(विवाहित महिलाओं के लिए)</i> मैं, पत्नी श्री ि	नेवासी
	राजस्थान की हूँ व सशपथ बयान करती हूँ कि :–	
02. 03.	. यह कि मैं विवाह पश्चात उपरोक्त पते पर निवास करती हूँ। . यह है कि मेरे पति श्रीराजा है। . यह है कि मैनें अभी अपना मूल निवास प्रमाण–पत्र भारत वर्ष के किसी भी स्थान से नहीं बनावाया हैं। . यह है कि मैं यह सशपथ पत्र अपना मूल निवास प्रमाण–पत्र बनवाने के लिए प्रस्तुत कर रही हूँ।	<del>}</del>
दिनांक	सत्यापन	हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता
	——— मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य सत्य एवं स	ही हैं ईश्वर मेरा
साक्षी है		

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

दिनांक